

Tele: 23014594

Engineer-in-Chief's Branch
 Military Engineer Services
 Dte Gen of Pers/CSCC
 Kashmir House, Rajaji Marg
 New Delhi-110 011

PC-1/76005/RRs/Steno Gde-II/CSCC

02 Sep 2021

ADG (NEI) Guwahati, Pin-781027, C/o 56 APO
 ADG (Projects) Chennai-600009
 ADG (North) Jammu C/o CWE (AF) Jammu, Pin-937258
 CME Pune, Pin-908797

Headquarters

Chief Engineer Central Command, Pin-908544
 Chief Engineer Northern Command, Pin-908545
 Chief Engineer Western Command, Pin-908543
 Chief Engineer Eastern Command, Pin-908542
 Chief Engineer Southern Command, Pin-908541
 Chief Engineer South Western Command, Pin-908546
 Jt DG (D&C) Range Hills Rd, Kirkee, Pune-411003

FORWARDING OF RECRUITMENT RULES IN RESPECT OF STENOGRAPHER GDE-II

1. A copy of Recruitment Rules i.e. SRO-29 dated 04 Aug 2021 published in Gazette of India is fwd herewith for further dissemination to all Zones/Unit and formations under your AOR.

SP Singh
 (SP Singh, IDSE)
 Dir (Pers)/CSCC
 For E-in-C

Encls : As above

Copy to :-

Internal

E1(DPC), E1 DPC(PP&SUB), E1B (C&M), E1C(1)

Automation Cell

: for uploading it on MES website, *open domain in*

A/00481/MES WEB/Gen/Auto

3. Additional Director General Armed Forces Medical Services (Equipment and Stores)	- Member.
Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of :-	
1. Joint Secretary administratively concerned in the Ministry of Defence	- Chairman;
2. Additional Director General Armed Forces Medical Services (Equipment and Stores)	- Member;
3. Deputy Secretary or Director in the Ministry of Defence	- Member.

[F. No. 11375/RR/AD(OL)/DGAFMS/DG-2B/90/D(Appts)/2021]

DEVENDRA KUMAR, Under Secy.

नई दिल्ली, 4 अगस्त, 2021

का.नि.आ. 29.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए रक्षा मंत्रालय के अधीन सैनिक इंजीनियर सेवाएं (आशुलिपिक श्रेणी-II और श्रेणी-III) भर्ती नियम, 2004 का उन बातों के सिवाय, अद्विक्रान्त करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का जोप किया गया है, रक्षा मंत्रालय में सैनिक इंजीनियर सेवाएं में आशुलिपिक श्रेणी-II के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.— (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सैनिक इंजीनियर सेवाएं, आशुलिपिक श्रेणी-II भर्ती नियम, 2021 है।
(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
2. पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.— उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनके वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (2) से (4) में विनिर्दिष्ट हैं।
3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अन्य अर्हताएं, इत्यादि.— उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।
4. तिरहता.— वह व्यक्ति—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा भी है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए, किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा भी है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह, ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति.— जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबन्ध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति.— इन नियमों की कोई बात आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किये गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबन्ध करना अपेक्षित है।



अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मेट्रिक्स में स्तर या वेतनमान	चयन पद अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
आधुनिक श्रेणी-II	348* (2021) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अनुसूचित।	वेतन मेट्रिक्स स्तर 4 (₹ 25500- 81100)	लागू नहीं	18 से 27 वर्ष के मध्य। (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय समय पर जारी अनुदेशों या नियमों के अनुरूप सरकारी सेवकों के लिए चालीस वर्ष तक शिथिल की जा सकती।) टिप्पणः आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख कर्मचारी चयन आयोग द्वारा विज्ञापित की जायेगी।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा / प्रतिनियुक्ति या आमेहन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता।
(7)	(8)	(9)	(10)
(i) किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से 12वीं कक्षा उत्तीर्ण ; (ii) कौशल परीक्षा के मानक: शुतलेख (डिक्टेशन) 80 शब्द प्रति मिनट की दर से दस मिनट प्रति लेखन (ट्रांसक्रिप्शन): अंग्रेजी में 50 मिनट, हिंदी में 65 मिनट (कंप्यूटर पर)	लागू नहीं होता	दो वर्ष। टिप्पण: सुसंगत क्षेत्र में कम से कम दो सप्ताह की अवधि के अनिवार्य प्रेरण प्रशिक्षण का सफल समापन परीक्षा को पूरा करने के लिए आवश्यक होगा।	कर्मचारी चयन आयोग द्वारा सीधी भर्ती। टिप्पण: प्रतिनियुक्ति या लंबी बीमारी या अध्ययन अवकाश पर या अन्य परिस्थितियों में एक वर्ष या उससे अधिक की अवधि के कारण रिक्त हुए पद केन्द्रीय सरकार के अधिकारियों से प्रतिनियुक्ति पर भरे जा सकते हैं जो कि अनुरूप पदों या नियमित आधार पर और स्तंभ (7) में सीधी भर्तियों के लिए विहित अर्हताएं रखते हों।



प्रोन्नति / प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति / प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा।	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में सब लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता	<p>समूह 'ग' विभागीय पुष्टिकरण समिति (पुष्टिकरण पर विचार करने के लिए):-</p> <p>(1) मुख्य इंजीनियर या उसका नामनिर्देशाती जो अधीक्षण इंजीनियर या समतुल्य की पंक्ति से नीचे का न हो -अध्यक्ष;</p> <p>(2) कार्यपालक इंजीनियर या समतुल्य - सदस्य;</p> <p>(3) समूह 'क' सिविलियन राजपत्रित अधिकारी या कमीशंड अधिकारी जिसका विभाग से संबन्ध न हो - सदस्य।</p>	लागू नहीं होता।

[फा.सं.पीसी-1/76005/आर.आर./स्टेनो ग्रेड -II/ सी.एस.सी.सी./175/र.(नि)/2021]

देवेन्द्र कुमार, अवर सचिव

New Delhi, the 4th August, 2021

S.R.O. 29.—In exercise of the powers conferred by the provision to article 309 of the Constitution and in supersession of the Military Engineer Service, (Stenographer Gde-II and Gde-III) Recruitment Rules 2004, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of Stenographer in the Military Engineer Services, Ministry of Defence, namely :-

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Military Engineer Services, (Stenographer Gde-II) Recruitment Rules 2021.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the official gazette.

2. Number of posts, Classifications and level in the pay matrix.—The number of the said posts, their classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in Columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age-limit and other qualifications, etc.—The method of recruitment, age-limit and other matters relating to the said post shall be as specified in Column (5) to (13) of the said Schedule.

4. Disqualification.—No person,-

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to any of the said post.

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of these rules.

5. Power to Relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may by order, and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the Ex-servicemen and other special categories of persons, in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.



SCHEDULE

Name of Post	Number of Posts	Classification	Level in Pay Matrix	Whether selection Post or Non-selection Post	Age-limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Stenographer Gde – II	*348 (2021) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'C', Non Gazetted, Ministerial.	Level 4 in the pay matrix (₹ 25500-81100)	Not applicable	18-27 years (Relaxable for Government servants upto 40 years in accordance with instructions or orders issued by the Central Government.) Note: The crucial date for determining the age limit shall be as advertised by the Staff Selection Commission.

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and Educational Qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation / absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods
(7)	(8)	(9)	(10)
(i) 12 th class pass or equivalent from a recognised Board or University; (ii) Skill Test Norms Dictation: 10 mts @ 80 w.p.m. Transcription: 50 mts. (Eng.) 65 mts. (Hindi) (On computer)	Not applicable	Two years Note: Successful completion of mandatory induction training of atleast two weeks duration in the relevant field shall be pre-requisite for completion of probation.	Direct recruitment through Staff Selection Commission Note: Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled on deputation from the officials of the central Government holding analogous posts or regular basis and possessing the qualifications prescribed for direct recruits at Column (7).

In case of recruitment by promotion / deputation or absorption, grades from which promotion / deputation or absorption to be made.	If Departmental Promotion Committee exists, what is its Composition?	Circumstances in which the Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(11)	(12)	(13)
Not applicable.	Group 'C' Departmental Confirmation Committee (for considering Confirmation):- (i) Chief Engineer or his nominee not below the rank of Superintending Engineer or equivalent -Chairman	Not Applicable



	(ii) Executive Engineer or equivalent - Member (iii) Group 'A' Civilian Gazetted officer or a Commissioned officer not connected with the Department - Member	
--	--	--

[F. No. PC-1/76005/RRs/Steno Gde-II/CSCC/175/D(Apptts)/2021]

DEVENDRA KUMAR, Under Secy.

